रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 9 अक्तूबर, 1996/17 आश्विन, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 26 सितम्बर, 1996

संख्या ई0एक्स0 एन0 11-35/74-पार्ट-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से तुरन्त पूर्व हिमाचल प्रदेश के समाविष्ट क्षेत्रों को यथा लागू और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमांडिंग आफिसर-4 जैक रायफल मार्फत-56 ए0 पी0 ओ0 उनके "युद्ध सम्मान समारोह" मनाने के लिए, उसमें प्रयोग होने वाली मदिरा पर से आबकारी शुल्क तथा निर्धारित फीस, जो मु0 15,661.90 रुपये बनती है, पर से छूट प्रदान करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-2, 27 सितम्बर, 1996

संख्या ई0 एक्स0 एस0 11-35/74-पार्ट-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से तुरन्त पूर्व हिमाचल प्रदेश के समाविष्ट क्षेत्रों को यथा लागू और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमांडिंग ऑफिसर, मुख्यालय, सैनिक प्रशिक्षण कमांड, शिमला, जो अपने युनिट का स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, में परोसी होने वाली मदिरा पर आबकारी शुल्क तथा निर्धारित फीस, जो रु0 24,200 रुपये बनती है, पर से छूट प्रदान करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।